निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या : सेवा-2 / 430 / वा0स्था0 / 2023-24 दिनांक 26 जून, 2023

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति, स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों तथा शासनादेश संख्या-I / 120994 / 2023 / XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-I / 130234 / XXX(2)/2023/E-33080 दिनांक 15 जून, 2023 एवं शासनादेश संख्या-I / 130236 / XXX(2)/2023/E-33080 दिनांक 15 जून, 2023 के क्रम में उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (लेवल-8 वेतनमान रू0 47600-151100) समूह- 'ग' में कार्यरत निम्नांकित प्रवक्ताओं को उक्त अधिनियम की धारा 17(1)(ख)(पांच) **अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण** के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 के विद्यालय / संस्था से स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय / संस्था में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

प्रवक्ता संवर्ग (सामान्य शाखा)

क्र. स.	प्रवक्ता का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय / संस्था का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय / संस्था	श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती जयन्ती बुटोला	हिन्दी	रा.इ.का. भगद्वारीखाल, रायपुर, देहरादून।	रा.इ.का. खुडबुडा, देहरादून।	सुगम	विधवा
2	श्रीमती इन्दु	अर्थशास्त्र	अ.उ.रा.इ.का. गडोरा, दशोली, चमोली।	रा.इ.का. सोरना डोबरी, देहरादून।	सुगम	-तदैव-
3	श्री राजेन्द्र कुमार	हिन्दी	रा.इ.का. थत्यूड, टिहरी गढ़वाल	रा.इ.का. रायवाला, डोईवाला, देहरादून।	सुगम	विधुर
4	श्री पवन कुमार	भूगोल	रा.इ.का. क्वांसी, देहरादून।	रा.इ.का. कासमपुर, बहादराबाद, हरिद्वार।	सुगम	-तदैव-
5	आरती	नागरिक शास्त्र	रा.इ.का. नारायणबगड़, चमोली।	रा.इ.का. मेहूवाला, देहरादून।	सुगम	परित्यक्ता
6	ममता रानी	इतिहास	अ.उ.रा.इ.का. वज्यूला, गरूड, बागेश्वर।	रा.इ.का. जंगलियागांव, नैनीताल।	सुगम	तलाकशुदा
7	श्री अनिल कुमार बिष्ट	रसायन विज्ञान	रा.इ.का. बेदीखाल, पौड़ी गढ़वाल।	रा.इ.का. खैरासैण, पौड़ी गढ़वाल।	दुर्गम	-तदैव-
8	श्री विनोद कुमार	गणित	रा.इ.का. भेटा बडौली,धोलादेवी, अल्मोड़ा।	रा.इ.का. हवालबाग, अल्मोड़ा।	सुगम	-तदैव-
9	कमलेश	संस्कृत	रा.इ.का. मछियाड़, पाटी, चम्पावत।	रा.इ.का. बिन्दुखेड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल।	सुगम	-तदैव-
10	श्री कृष्ण पाल सिंह	भौतिक विज्ञान	रा.इ.का. कमलेश्वर, हवालबाग, अल्मोड़ा।	रा.इ.का. सैजना, खटीमा, ऊधमसिंह नगर।	सुगम	वरिष्ठ कार्मिक
11	श्री अजय कुमार चौधरी	अंग्रेजी	रा.इ.का. कमलेश्वर, हवालबाग, अल्मोड़ा।	रा.इ.का. फौजीमटकोटा, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर	सुगम	-तदैव-
12	श्री राकेश चन्द्र वैष्णव	अंग्रेजी	अ.उ.रा.इ.का. भीमताल, नैनीताल।	रा.इ.का. पटवाडांगर, नैनीताल।	सुगम	-तदैव-
13	श्री हरीश पाल	अर्थशास्त्र	रा.इ.का. कचटा गांगरो, कालसी, देहरादून।	रा.इ.का. कोटी कालोनी, कालसी, देहरादून।	दुर्गम	-तदैव-

2– वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रवक्ताओं के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:–

1. स्थानान्तरित प्रवक्ता दिनांक 05 जुलाई, 2023 तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले प्रवक्ता नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (**Joining time**) का उपभोग स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेगें।
2. उक्त स्थानान्तरण निजी व्यय पर किया गया है, इस हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
3. स्थानान्तरित प्रवक्ता द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु दिनांक 29 जून, 2023 तक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को ई–मेल *edusewa12@gmail.com* के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।

26/6/23

(महावीर सिंह बिष्ट)
अपर निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: सेवा–2/ 8419-29 /वा0स्था0/2023–24 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलीय अपर निदेशक,(मा0शि0) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
8. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि विभागीय वेबसाइट से स्थानान्तरण आदेश प्राप्त कर संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य/संस्थाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित प्रवक्ताओं को स्थानान्तरण आदेश की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. संबंधित प्राचार्य/खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य/संस्थाध्यक्ष, संबंधित विद्यालय/संस्था को इस आशय से कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति स्थानान्तरित शिक्षक को प्राप्त करवा कर पावती संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। (द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी)
10. संबंधित प्रवक्ताओं को उक्तानुसार अनुपालनार्थ।
11. प्रभारी एम0आई0एस0, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उक्त आदेश को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।
12. आदेश गार्ड फाईल।

26/6/23

(महावीर सिंह बिष्ट)
अपर निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।